उत्तर प्रदेश शासन

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग

अधिसूचना

31 अक्टूबर, 2014 ई0

सं0 1379/63-व0उ0-2014-50(एच)/06 टी0सी0–उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योगों की इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति, 2014 बनाई गई है। प्रदेश में स्थापित होने वाली वस्त्र उद्योग इकाइयों को उ0प्र0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के अन्तर्गत उपलब्ध सभी सुविधायें एवं उपादान योजनाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

2–उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति एवं उ0प्र0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के समानान्तर प्राविधान जिनके सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किये जा चुके हैं, का विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	योजना का नाम	उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति 2014 का प्रस्तर संख्या	उ0प्र0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 का प्रस्तर संख्या	शासनादेश का विवरण
1	2	3	4	5
1	स्टैम्प डयूटी में छूट	3.1.1 3.1.2	5.1.1 5.1.2	क0नि0 7-79/11-2012-312(98)/2012, दिनांक 05-12-2012
		3.1.4	5.1.4	क0नि0 7-80/11-2012-312(98)/2012, दिनांक 05-12-2012
2	वाणिज्य कर विभाग से छूट	3.2.2 3.2.3	5.2.2 5.2.3	क0नि0 1181/ग्यारह/2-2012-9(66)/2012, दिनांक 09-11-2012 क0नि0 973/11/2-2012-9(66)/2012, दिनांक 29-09-2012
3	निवेश प्रोत्साहन योजना का विस्तार	3.3.1 3.3.2 3.3.3	5.4	1416/77-6-12/8(एम)/2012 टी0सी0-4, दिनांक 30-11-2012 1599/77-6-12/8(एम)/2012 टी0सी0-4, दिनांक 30-11-2012
4	ऊर्जा सम्बन्धी वित्तीय प्राविधान	3.4.1 3.4.2	5.5.2 5.5.3	1765/24-3-2009-2000(124)/09, दिनांक 21-01-2010 2304/24-पी-3-2012-232, 06-02-1998 दिनांक 07-12-2012
5	अवस्थापना ब्याज उपादान योजना	3.5.2	5.6.2	1385/77-6-12/8(एम)/12 टी0सी0-1, दिनांक 30-11-2012
6	औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना	3.5.3	5.6.3	1414/77-6-12/8(एम)/12 टी0सी0-II, दिनांक 30-11-2012
7	ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति योजना	3.5.4	5.6.4	1456/77-6-12/8(एम)/12 टी0सी0-II, दिनांक 23-01-2013

उक्त योजनाओं का लाभ उपरोक्तानुसार निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था के अनुरूप अनुमन्य कराया जायेगा। वस्त्र उद्योग इकाईयों हेतु यू0पी0एस0आई0डी0 एवं पिकप के स्थान पर हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के अधीन हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा।

3–वस्त्र उद्योग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये उक्त के अतिरिक्त पूंजीगत ब्याज उपादान योजना एवं मेगा परियोजनाओं के लिये निम्न विशेष प्राविधान किये गये हैं –

(अ) पूंजीगत ब्याज उपादान योजना (उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति 2014 प्रस्तर संख्या 3.6.1)–

अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने हेतु पूर्वान्चल, मध्यान्चल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाले नये वस्त्र उद्योग यथा कताई (स्पिनिंग) निर्माण इकाइयों को इकाई की स्थापना हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु0 1.00 करोड़ होगी। स्पिनिंग यूनिट को छोड़कर अन्य वस्त्र उद्योग इकाईयों पर यह उपादान 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा 07 वर्ष के लिये प्रति यूनिट अधिकतम रु0 1.00 करोड़ होगी। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उपरोक्त प्रकार के नये वस्त्रोद्योगों के लिये प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु0 50.00 लाख होगी।

यह योजना उ0प्र0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 1414/77-6-12-8(एम)/12 टी0सी0-3, दिनांक 30 जनवरी, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप वस्त्र उद्योग इकाईयों के लिये उपरोक्त संशोधित दर एवं अवधि के अनुसार प्रभावी होगी।

(ब) मेगा परियोजना (उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति 2014 प्रस्तर संख्या 3.5.5)–

(क) वस्त्र उद्योग इकाई के अन्तर्गत रु0 75.00 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाली स्पिनिंग मिल इकाईयों को उ0प्र0 वस्त्र उद्योग नीति में वर्णित सभी वित्तीय सुविधाओं को सुसंगत शर्तों के अधीन अनुमन्य कराया जायेगा। केस-टू-केस आधार पर इन सुविधाओं की अधिकतम वित्तीय सीमा को इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त शिथिल किया जा सकेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस श्रेणी की मेगा परियोजनाओं को कोई ऐसी सुविधायें अनुमन्य नहीं करायी जायेगी जो उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति से आच्छादित न हो। इन परियोजनाओं हेतु भूमि का आवंटन, जल, विद्युत संयोजन आदि को प्राथमिकता से फास्ट ट्रैक मोड पर उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसी इकाईयों को यदि परियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें जैसे सड़क, विद्युत् लाइन, सीवर लाइन, जल निकासी की आवश्यकता होगी तो उसे पूर्णतः अथवा शासकीय व्यय पर उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

(ख) रु0 125.00 करोड़ या उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली स्पिनिंग मिल इकाईयों को उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त केस-टू-केस आधार पर अन्य प्रदेशों की तर्ज पर इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त वे सुविधायें भी उपलब्ध करायी जा सकती हैं जो उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति से आच्छादित नहीं हैं।

यह योजना उ0प्र0 अक्स्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 1457/77-6-12-8(एम)/12 टी0सी0-7, दिनांक 23 जनवरी, 2012 एवं शासनादेश संख्या 402/77-6-14/5(एम)/2013, दिनांक 03 मार्च, 2014 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप वस्त्र उद्योग इकाईयों हेतु उपरोक्त संशोधित सीमा के साथ प्रभावी होगी।

4–उक्त सुविधायें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य होंगी।

5–इस योजना का संचालन हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के अधीन हथकरघा एवं वस्त्रोउद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा किया जायेगा, जो इस शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य प्राविधानों के लिये प्राधिकृत संस्था होगी।

6–उ0प्र0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अधीन समय-समय पर जारी सभी शासनादेश/संशोधन उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति 2014 पर भी प्रभावी होंगे।

7–उक्त नीति "उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति 2014" के नाम से जानी जायेगी।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र दिनांक 22-11-2014 के भाग 1 में प्रकाशित विज्ञप्ति।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित–]
पी0एस0यू0पी0–1 सा0 हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग–27-12-2014–500 प्रतियां (मोनो/डी0टी0पी0/आफसेट)।